FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बापतु मुकाम

जोधाराम बनाम ग्रा० प० जरिये पनावड़ा जरिये सरपंच

किस्म मुकदमा रा० अपील 75 RLR नं. 06/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत प्रसाद ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 75 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/09/2020 को पेश हो। ग्राम पंचायत पनावड़ा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या-533 दिनांक 05/07/2020 का रेकर्ड तलब करने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 23/09/2020 नियत दिनांक को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बापतु	
23/09/2020	अपीलान्ट के वकील उपस्थित। रेस्पोडेन्ट गण संख्या-1 से 5 व 7 से 9 के नोटिस शामिल शुदा व रेस्पोडेन्ट संख्या-6 के नोटिस पर फौत होना लिखा गया। रेस्पोडेन्ट संख्या-5 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालातनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बापतु से नामान्तरण संख्या-533 का रेकर्ड प्राप्त नहीं हुआ है इन्तजार है। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 व 7,8 बावजूद तामिल अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रेस्पोडेन्ट संख्या-5 के अधिवक्ता जवाब आईन्दा पेश करना चाहते है अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बापतु	

12/10/2020	अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या-5 के वकील उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या-5 के अधिवक्ता जवाब आईन्दा पेश करना चाहते है। अवसर दिया जाता है। तहसीलदार बायतु से नामान्तरकरण का रेकर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तलबजाए होकर पत्रावली दिनांक 20/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
20/10/2020	अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या-5 के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या-6 की फौतगी सूचना पेश कर निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या-6 का नाम अपील से विलोपित किया जावे जिनके कायम मुकाम रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 7 पूर्व में रेकर्ड पर है। साथ ही अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा संशोधित विविध पेश किया गया जिसे रेकर्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या-5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, आईन्दा पेश करना चाहते है। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 04/01/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
04/01/2021	अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या-2 के वकील उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया जिनका जवाब बन्द किया जाता है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु
(पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.)

अपील सख्या – 06/2020

अपीलांट बनाम उतरदाता

1. जोधाराम पुत्र मंगलाराम
2. ताजाराम पुत्र पदमाराम

जातियान्–जाट, निवासीयान्–मदरूपोणियों की ढाणी, पनावडा तहसील–बायतु, जिला बाड़मेर।

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत पनावड़ा
2. केसाराम पुत्र मंगलाराम
3. गंगाराम पुत्र मोडाराम
4. जेहाराम पुत्र पदमाराम
5. थानाराम पुत्र मोडाराम
6. शम्भुराम पुत्र मंगलाराम
7. सताराम पुत्र मोडाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–मदरूपोणियों की ढाणी, पनावड़ा तहसील–बायतु, जिला बाड़मेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु

दिनांक :– 04/01/2021

उपस्थित :–

1. श्री नरपत पूनड़ वकील अपीलांट
2. श्री जगदीश गोदारा वकील उत्तरदातागण संख्या 5

–: आदेश :–

अपीलांट द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या–533/05.07.2020 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट संख्या 2 एवं उत्तरदाता संख्या 2 से 7 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा मदरूपोणियों की ढाणी पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 560/151 रकबा 0.1789 हैक्टेयर में आई हुई हैं। अपीलांट संख्या 2 के द्वारा उक्त आराजी में से अपना 1/16 हिस्से की भूमि अपीलांट संख्या 1 को जरिये विक्रय पत्र बैचान कर दी। जिसका नामान्तरकरण उत्तरदातागण संख्या 1 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अतः उक्त कार्रवाही से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर अपीलांट संख्या 2 के द्वारा उक्त आराजी में से अपना 1/16 हिस्से की भूमि अपीलांट संख्या 1 के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपीलांटगण द्वारा देरी के लिये धारा–5 म्याद भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट ने देरी के लिये धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत सदभावी भूल मानते हुए एवं इस अपील में निहित उक्त देरी के लिए क्षमा मांगते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उत्तरदातागण को सम्मन जारी किये गये है। उत्तरदातागण संख्या 1 से 4 व 7, 8 स्वयं या उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उत्तरदातागण संख्या 5 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। अपीलांट संख्या 1 के वकील द्वारा उत्तरदातागण

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

6 की फौतगी सूचना मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया। तहसीलदार बायतु से नामान्तरकरण संख्या 533/05.07.2020 का रेकर्ड तलब किया गया।

नामान्तरकरण संख्या–533/05.07.2020 के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट संख्या 2 के द्वारा उक्त आराजी में से अपना 1/16 हिस्से की भूमि अपीलांट संख्या 1 के नाम से बैचान करने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 533/05.07.2020 भर कर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा "जांच किया अंकन सही पाया गया" की टिप्पणी अंकित करने के बाद भी उत्तरदातागण संख्या 1 के द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया गया।

हमने अपीलांट वकील की बहस सुनी व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर रखते हुऐ अपीलांट की अपील अन्दर म्याद आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 533/05.07.2020 को खारिज किया जाकर तहसीलदार बायतु को प्रतिप्रेषित कर, मौजा मदरूपोणियों की ढाणी पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 560/151 रकबा 0.1789 हैक्टेयर में से 1/16 हिस्से की भूमि अपीलांट संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बायतु उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु